**International Journal of Advanced Educational Research**
**ISSN: 2455-6157; Impact Factor: RJIF 5.12**
**Received: 27-03-2019; Accepted: 29-04-2019**
**www.educationjournal.org**
**Volume 4; Issue 5; May 2019; Page No. 65-70**

# इतिहास शिक्षण की आवश्यकता, अवधारणा, उद्देश्य, महत्व एवं उपादेयता एक अध्ययन

**निहारीका कुमारी [1], डॉ. अनन्त झा [2]**
[1] शोधछात्रा, सनराईज विश्वविद्यालय, अलवर, राजस्थान, भारत।
[2] शोधपर्यवेक्षक, सनराईज विश्वविद्यालय, अलवर, राजस्थान, भारत।

**सांराश**
इतिहास मानव जीवन के समस्त क्रियाओं पर प्रकाश डालने वाला एक कथ्य या कहानी है जिसमें मानव के समस्त क्रियाओं तथा उत्थान पतन की झाँकी हमें देखने को मिलती है। इतिहास के द्वारा हम अतीत के उन सारे गुण–दोषों को देख पाते हैं जो मानव के द्वारा सम्पादित किये जाते रहे हैं। वर्तमान शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में इतिहास विषय का शिक्षण व अध्ययन की महती आवश्यकता है। इस विषय की आवश्यकता, अवधारणा, उद्देश्य, महत्व तथा उपयोगिता अत्यन्त व्यापक एवं दूरगामी है। इतिहास विषय के महत्व और उपयोगिता को ध्यान में रख कर इतिहास विषय के अध्ययन पर बल देकर कार्य करना हमारा पुनीत कर्त्तव्य हैं। हीगेल ने भी इतिहास को सराहनीय विषय माना है। एक फ्रांसीसी विद्वान रेनन ने लिखा है कि इतिहास का अध्ययन राष्ट्रीयता के लिए उपयुक्त होता है। मानव समाज के कल्याण के लिए विशाल इतिहास को भूलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि यह भी सत्य है कि अपने इतिहास को भूलने वाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता है। अतः भविष्य निधि के रुप में इतिहास विषय का अध्ययन व शिक्षण की व्यवस्था आवश्यक है। अतः समस्त मानव जाति को इतिहास की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए।

**मूल शब्दः** इतिहास की आवश्यकता, अवधारणा, उद्देश्य, महत्व व उपादेयता।

## प्रस्तावना
इसमें समस्त कृत्यों को क्रमवार –ढंग से निष्पक्ष रुप से प्रस्तुत करने की क्षमता है। इतिहास नामक शिक्षा–शाखा की उत्पति सर्वप्रथम यूनान में मिलती है। इसका उद्गम बौद्धिक कार्य–व्यापार के महान उद्वेग की एक अभिव्यक्ति के रुप में हुआ। परीक्षा सिद्ध गवेषणा के अर्थ में स्वयं इतिहास शब्द का प्रयोग उस समय हुआ जब किसी विशेषज्ञ के द्वारा वाद –विवाद के निबटारे के लिए अभ्यर्थना की जाती थी। अतः इतिहासकार से अभिप्राय वाद –विवाद के निर्णय करने वाले व्यक्ति से होता था। सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करने वाला इतिहास का जनक हेरोडोटस था। इतिहास शब्द से उनका अभिप्राय खोज तथा अनुसंधान था। युनानी जाति की ज्ञान–पिपास हिस्ट्री की परिभाषा में प्रस्फुटित हो उठीं। इस प्रकार यह सर्वमान्य है कि हिस्ट्री अथवा इतिहास का उद्गम स्थल प्राच्च संस्कृति का केन्द्र यूनान रहा है। महान यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने इतिहास लेखन की आधारशिला का निर्माण किया जिसे थ्यूसिडिडीज ने विकसित किया। वैसे विद्वानों और इतिहासकारों ने इतिहास शब्द का प्रयोग संकीर्ण तथा व्यापक दोनों अर्थों में किया हैं । सबसे पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ पर प्रकाश डालना चाहेंगे तदुपरांत इसके संकीर्ण और व्यापक अर्थों का विवेचन करेंगे।

**इतिहास का शाब्दिक अर्थः** इतिहास संस्कृत भाषा के तीन शब्दों से मिलकर बना है अर्थात इति+ह+आस। 'इति' का अर्थ होता है ऐसा ही, 'ह' का अर्थ होता है निश्चित रुप से और 'आस' का अर्थ होता है 'था' । इस प्रकार शाब्दिक व्युत्पत्ति के अनुसार इतिहास का अर्थ हुआ, 'जो निश्चित रुप से ऐसा ही था' । दसरे शब्दों में हम यँ कह सकते है कि जो घटनाएँ भूतकाल में घटी हैं और जो निश्चित तथा सत्य है उन्हीं के क्रमबद्ध तथा विवेचनात्मक विवरण को हम इतिहास कहते है। शाब्दिक व्युत्पति के आधार पर हम इतिहास शब्द की व्याख्या इस प्रकार भी कर सकते हें व्याख्या के अनुसार इतिहास केवल दो शब्दों से मिलकर बना है अर्थात 'इतिह'+'आस'। इतिह अव्यय शब्द है और इसका अर्थ होता है जो परंपरा के अनुरुप ही या उपदेश परंपरा, देर से सुना जाने वाला उपदेश या युना सुनाया अच्छा और सत्य वचन। इस आधर पर हम कह सकते हैं कि इतिहास उन घटनाओं को कहते हैं जो परंपरा के अनुकुल हों अर्थात इतिहास उन ग्रंथों को कहते हैं जिसमें बीते हुए काल की प्रसिद्ध घटनाओं और तत्कालीन प्रसिद्ध पुरुषों का वर्णन हो जिनके अध्ययन से लोगों को उत्तम शिक्षा प्राप्त हो। स्वर्गीय चतुर्वेदी, द्वारिका प्रसाद शर्मा और पंडित तारिणीश झा ने संस्कृत शब्दार्थ कौस्ततुम में इतिहास को 'इतिहास का अर्थ बतलाते हुए लिखा है कि इतिहास वह ग्रंथ है जिसमें धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष का उपदेश प्राचीन कथानकों से युक्त हों। संभवतः यही कारण है कि हमारे आचार्यों ने इतिहास पुराण' के नाम से संबोधित किया था। इस प्रकार जो ग्रंथ पौराणिक कथाओं से युक्त रहते थे ओर बड़े ही उपदेशात्मक होते थे उन्हीं को इतिहास के नाम से पुकारा जाता था।

इतिहास शब्द की एक तीसरी व्याख्या भी हो सकती है। इस व्याख्या के अनुसार इतिहास दो शब्दों से बना है, अर्थात, 'इति'+'हास'। इति का अर्थ होता है अंत अथवा समाप्ति ओर 'हास' का अर्थ होता है हँसी, खेल या मजाक। इस तीसरी व्याख्या के अनुसार वे घटनाएँ जो हँसी, मजाक की है और जिनका जीवन में अधिक महत्व नहीं है और बीत चुकी है यानि जिसका अंत हो चुका है, वही इतिहास है। हमारे विद्वान, मनीषी, भौतिक वस्तुओं को नश्वर तथा हँसी खेल की चीज समझते थे। अतः वे उन्हें कोई बड़ा महत्व नही देते थे। वे केवल आध्यात्मिक तत्वों को शाश्वत मानते थे और उन्हें आदर की दृष्टि से देखते थें राजनीतिक तथा अन्य भौतिक घटनाओं को वे हँसी–खेल समझते थे। अतः इस प्रकार की भूतकाल की घटनाओं के क्रमबद्ध विवेचन को उन्होंने इतिहास की संज्ञा दी है। न केवल हमारे, विद्वानों और इतिहासकारों ने बल्कि पाश्चात्य विद्वान महाकवि शेक्सपियर ने भी मनुष्य के भौतिक जीवन की नश्वतरता तथा निस्सारता की ओर इंगित करते हुए लिखा है–''जीवन एक चलती फिरती छाया मात्र है, यह एक दीन–हीन अभिनेता है, जो रंगमंच पर मात्र क्षणिक खेल–कूद करता है, और फिर सदा के

लिए विलीन हो जाता है। यह मानव जीवन मूर्खों द्वारा कथित एक कहानी है जिसका कोई अर्थ नहीं होता।'' मुगल सम्राट अकबर ने भी भौतिक जीवन की नश्वरता पर प्रकाश डालते हुए फतेहपुर के बुलंद दरवाजे पर जो पंक्तियाँ अंकित करवाई हैं उसका सार निम्न प्रकार है–''यह संसार एक बाँध की भाँति है, उसे पार करना प्रत्येक मानव का पुनीत कर्तव्य हैं इस बाँध के उपर सज्जन लोक वास नहीं करते हैं। यह जिन्दगी कुछ क्षणों का है, इसलिये एक क्षण गवॉये बगैर भगवान के पूजन अर्चन में इसे सदा लगाना चाहिए।''

**इतिहास का संकीर्ण अर्थः** संकीर्ण अर्थ इतिहास राजवंशों के उत्थान और पतन की कहानी मात्र है। इस दृष्टि में इतिहास का संबंध केवल राजनीतिक जीवन से रहता है और इतिहास का विशेष क्षेत्र राजाओं, महाराजाओं, के शासन, उनकी नीति तथा उनके द्वारा किये गये युद्धों की कहानी मात्र है । विद्वान इतिहासकार फ्रीमैन महोदय ने इसी संकीर्ण अर्थ में इतिहास की परिभाषा करते हुए लिखा है – ''इतिहास अतीत के राजीनति के सिवा कुछ भी नहीं है और राजनीति वर्तमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।'' इसी अर्थ में इतिहास का प्रयोग करने के कारण प्रायः सभी देशों का इतिहास विभिन्न राजवंशों के उत्थान एवं पतन के रुप में प्रस्तुत किया गया है। उदाहरणार्थ–अर्वाचीन इंग्लैण्ड के इतिहास को ट्यूडर, स्टुअर्ट तथा हैनोवर राजवंशों ने इतिहास में विभक्त किया था। हमारे देश भारत में प्राचीन इतिहास को मौयवंश, शुंगवंश, गुप्तवंश, कुषाणवंश आदि राजवंशों के इतिहास में और मध्यकालीन भारतीय इतिहास को गुलामवंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैय्यद वंश, लोदी वंश, तथा मुगलवंश के इतिहास में विभक्त किया गया या जाता है और इस विश्व के अन्य देशों का भी इतिहास लिखने की इसी प्रकार की परंपरा रही है और इस प्राकर के इतिहास को राजवंशों के उत्थान तथा पतन की कहानी मात्र कहना सर्वथा उचित प्रतीत होता है, लेकिन इतिहास को मात्र राजनीतिक जीवन तथा राजवंशों के उत्थान –पतन के संकीर्ण क्षेत्र में सीमित करना समीचीन नहीं प्रतीत होगा। अस्तु इसके व्यापक अर्थ पर प्रकाश डालना नितांत जरुरी है।

**इतिहास का व्यापक अर्थः** व्यापक अर्थ में इतिहास के अंतर्गत न केवल राजनीतिक और राजवंशों का उत्थान और पतन समाविष्ट रहता है बल्कि इसके अन्तर्गत उसका समाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी प्रकार के जीवन के विचार तथा क्रियाकलप सम्मिलित रहते हैं और न केवल राजवंशों वरन जनसाधारण के भी जीवन की कहानी सम्मिलित रहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ''इतिहास वह सामाजिक शास्त्र है जो हमें भूतकाल के लोगों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन का परिचय कराता है।'' अतः व्यापक अर्थ में इतिहास का अर्थ अतीत के उन क्रिया –कलापों से है जिसके अंतर्गत राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का समावेश किया गया है।

**इतिहास शिक्षण की आवश्यकता एवं आधुनिक अवधारणाः** इतिहास शिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुऐ इतिहासकार रोमिला थापर का मानना है की मानवीय एवं राष्ट्रीय विरासत को समझने के लिये बालकों को इतिहास का ज्ञान देना अत्यावश्यक है। इतिहास विषय के अध्ययन से बालकों में स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के ज्ञान से परिचित होने का सुअवसर प्राप्त होता है जिससे वे अपने देश के स्थानीय स्तर के इतिहास को जानते हुए राष्ट्रीय तथा अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के इतिहास को समझ पाते है। 19वीं शताब्दी के अन्तिम चरण तथा 20वीं सदी के प्रारम्भ में जब विज्ञान का बोलबाला हो गया था, तब इतिहास को समाज के सच्चे विज्ञान के रूप में देखा जाने लगा था। केवल इतिहासकारों ने ही नहीं, वरन राजनीति शास्त्रियों तथा दार्शनिकों ने भी इसे विज्ञानों के विज्ञान का अध्ययन करना आरम्भ कर दिया था। फिर भी इतिहास की प्रकृति के सम्बन्ध में विवाद बना रहा। कुछ विद्वानों ने इतिहास को कारण तथा कार्यकारण भाव का सूचक माना। इसके विपरीत दूसरे विद्वानों ने इतिहास की समाज के सच्चे विधान या विज्ञानों के विज्ञान के रूप में देखा। आज कोई भी इस बात से सहमत नहीं होता है कि इतिहास अलौकिक शक्तियों के हस्तक्षेप से प्रभावित होता है। अब सामान्यतः यह विश्वास किया जाने लगा है कि इतिहास को उन्हीं विधियों का अनुसरण करके समझा जा सकता है, जिनका अनुसरण भौतिक और सामाजिक वैज्ञानिक करते हैं। इसी कारण आज इतिहास को उस अध्ययन क्षेत्र के रूप में देखा जाता है जो वास्तविकता का वर्णन करता है। इस अध्ययन क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके ही वास्तविकता की खोज की जाती है।

**इतिहास शिक्षण के उद्देश्यः** विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान जैसे–इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषय पढाने के सामान्य उद्देश्य लगभग एक से होते हैं। अर्थात न्यूनाधिक रुप से प्रायः एक जैसे ही होते है। इतिहास शिक्षण के सामान्य उद्देश्य निम्निलिखत हैं–

1. छात्रों को इस प्रकार प्रशिक्षित करना कि वे प्रजातांत्रिक समाज में अपना स्थान प्राप्त कर सकें।
2. छात्रों में सहिष्णुता, सहयोग, समझ, त्याग, और मानवता के लिए सहानुभूति की भावना विकसित हो सके।
3. छात्रों को उनके पर्यावरण में उनकी कुशलताओं एवं क्षमताओं के अनुसार उनके जीवन को समृद्ध और विकसित बना सके।
4. छात्रों में रचनात्मक तर्कशक्ति और आलोचनात्मक निर्णय शक्ति का विकास हो सके।
5. छात्रों में भविष्य के सामाजिक संदर्भ में मानव और उसकी समस्याओं को भलीभांति अनुमान लगाने की रचनात्मक कल्पना शक्ति का विकास हो सके।

उपरोक्त उद्देश्य तभी प्राप्त किये जा सके हैं तब ज्ञानार्जन सही तरीके से किये जाए। बल्कि ज्ञानार्जन के अलावा और कई बातों को विकसित करना भी जरुरी है– जैसे कई प्रकार की आदतों, कुशलताओं, आदर्शों, दृष्टिकोणों, मूल्यों और प्रशंसात्मक झुकावों आदि को विकसित कर ज्ञानार्जन करवाना।

बाइनिंग एवं बाइनिंग ने अपनी पुस्तक 'टीचिगं ऑफ सोशल स्टेडी इन सैकण्डरी (1952) में इन सबको पांच भागों में विभाजित किया है यथा–

1. ज्ञान का अर्जन।
2. तर्क शक्ति एवं आलोचनात्मक निर्णय शक्ति का विकास।
3. स्वतंत्र अध्ययन करने का प्रशिक्षण।
4. आदतों एवं कुशलताओं का विकास।
5. उपर्युक्त व्यवहार प्रतिमानों का प्रशिक्षण।

**इतिहास शिक्षण के अन्य उद्देश्य**

1. छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना।
2. समाज की संस्कृति एवं समग्रता के ज्ञान का विकास करना।
3. सामाजिक आदतों का विकास करना।
4. प्रजातांत्रिक गुणों को छात्रों के व्यक्तित्व में विकसित करना।
5. तर्क शक्ति एवं चिन्तन शक्ति का विकास करना।
6. सामाजिक वातावरण एवं पर्यावरण का ज्ञान देना।

प्रमुख शिक्षा शास्त्री आर.सी. एडविन ने भी कुछ सामान्य उद्देश्यों की चर्चा की है जो इतिहास अध्ययन के लिए अनिवार्य समझा गया है, यथा–

- बालकों को वर्तमान मानव जीवन स्तर, उनकी सफलताओं तथ वर्तमान समस्याओं से अवगत करना।

- संपूर्ण विश्व की जानकारी देना।
- परिवार, समुदाय, समाज, राष्ट्र के विषय में सामाजिक विचार प्रदान करना।
- भौगोलिक परिस्थितियों तथा उनके प्रभावित होने वाले विश्व के देशों के बारे में बताना।
- छात्रों में देशभक्ति, साहस, सहयोग, भाईचारा, धर्मपरायणता आदि गुणों को विकसित करना।
- छात्रों में प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करना।
- छात्रों में तर्क, चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति तथा निर्णय शक्ति को विकसित करना।
- सामाजिक व राजनैतिक उत्तरदायित्वों का ज्ञान कराते हुए छात्रों को जागरुक बनाना।
- छात्रों को व्यावसायिक अवसर प्रदान करना तथा उनकी गतिविधियों को समझने में सहायता प्रदान करना।

**एन.सी.ई.आर.टी. (1985) ने कक्षा 11 तथा 12 पर इतिहास शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य बताये हैं**

1. मानव समाज में होने वाले परिवर्तन एवं विकास की प्रक्रियाओं से सम्बन्धित समझ बढ़ाना।
2. मानव सभ्यता की स्थापना तथा मानव जति की आधारभूत एकता की परख के सम्बन्ध में समझ बढ़ाना।
3. विभिन्न संस्कृतियों के लिए मानव की कुल सभ्यता के योगदान की गुण विवेचना का विकास करना।
4. यह समझ बढ़ाना कि विभिन्न संस्कृतियों की आपसी क्रिया प्रतिक्रियाएं मानव प्रगति में एक प्रमुख घटक रहे हैं।
5. समसामयिक विश्व को समझने के लिए आवश्यक विश्व ऐतिहासिक यथार्थ चित्रण की कला का विकास करना।
6. भारतीय ऐतिहासिक विकास के उन पहलुओं की समझ को समृद्ध करना जो समसामयिक भारत को समझने में निर्णायक हैं।
7. विश्व इतिहास तथा बाद की स्थिति के सामान्य परिप्रेक्ष्य में विशिष्ट देशों तथा राष्ट्रों के अध्ययन को सहज या सुगम बनाना।

**कोचर (1991) ने इतिहास शिक्षण के निम्न उद्देश्यों का उल्लेख किया है**

1. इतिहास शिक्षण के द्वारा आत्म समझ का विकास करना।
2. व्यक्तियों में समय, स्थान तथा समाज की उचित धारणा का विकास करना।
3. बुद्धि का विकास करना।
4. छात्रों को उनकी स्वयं के युग की उपलब्धियों के मूल्यांकन के योग्य बनाना।
5. बीते हुए समय से सीख लेकर भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण का विकास करना।
6. विवादित मामलों को निबटाने का प्रशिक्षण प्रदान करना।
7. राष्ट्रीयता की भावना में वृद्धि करना।
8. अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास करना।
9. सहिष्णुता सिखाना।

**भारत में इतिहास शिक्षण के उद्देश्यः** शिक्षा सोद्देश्य प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विषयों के ज्ञान जरुरत है। भारत में शिक्षण के उद्देश्य समयानुसार बदलते रहे हैं क्योंकि इतिहास विषय अपने विकास के क्रम में धर्म और दर्शन जैसे विषयों का अंग बना रहा है। इसिलिए प्राचीनकाल में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे उद्देश्य की शिक्षा देना इतिहास विषय का उद्देश्य था। मध्यकाल में इतिहास विषय के उद्देश्यों में परिवर्तन आया। राजाओं की वीरगाथा का वर्णन करना, उनकी जीवनियां लिखना, धर्म प्रचार करना उस समय इतिहास विषय के साथ जुडे गये। जब अंग्रेज भारत में आये तो ईसाईयत का प्रचार करना इस विषय का आधार बन गया।

1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारतीय शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए अनेक आयोगों ने अपनी सिफारिश के अनुसार देश की शिक्षा व्यवस्था मं उल्लेखनीय परिवर्तन लाने हेतु सुझाव दिये ।इन परिवर्तनों का प्रभाव इतिहास विषय पर भी पड़ा और विषय की स्वतंत्र प्रवृति के कारण इनके उद्देश्यों में परिवर्तन आया। परिवर्तन की इस लंबी कडी में इतिहास विषय के उद्देश्य निर्धारित किये गये जिन्हें निम्न प्रकार समझा जा सकता है–

1. छात्रों में ऐतिहासिक ज्ञान की अभिवृद्धि करना।
2. राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना।
3. इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना।
4. नेतृत्व का विकास करना।
5. व्यक्ति के व्यक्तित्व का चतुर्दिक विकास करना।
6. वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना।
7. आधुनिकीकरण का विकास करना।
8. शासन के स्वरुप का ज्ञान प्रदान करना।
9. सामाजिक कुशलता की प्रवृति का विकास करना।
10. मनसिक शक्तियों का विकास करना।
11. अवकाश के समय के सदुपयोग हेतु प्रोत्साहित करना।
12. देशभक्ति की भावना का विकास करना।
13. राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय भावना का विकास करना।
14. अंतराष्ट्रीय अवबोध एवंसहयोग की भावना का विकास करना।
15. भावी विश्व नागरिकता का प्रशिक्षण देना।
16. वैश्वीकरण की भावना का विकास करना।
17. आदर्श नागरिक चरित्र का निर्माण करना।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1953) ने भी उद्देश्य का समर्थन इन शब्दों में किया– 'छात्रों को न केवल ज्ञान अर्जित करने अपितु उन अभिवृत्तियों व मूल्यों के विकास में सक्षम बनाया जाना चाहिए जो सामूहिक जीवन तथा नागरिक कार्य कुशलता के लिए जरुरी है।' इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा आयोग ने देश की शिक्षा हेतु निम्न उद्देश्यों को प्रस्तावित किया–

1. छात्रों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना।
2. व्यक्तित्व का विकास करना।
3. नेतृत्व के गुणों का विकास करना।
4. व्यावसायिक कुशलताओं का विकास करना।
5. छात्रों का चारित्रिक विकास करना।
6. राष्ट्रीय भावात्मक एकता का विकास करना।
7. सम–सामयिक समस्याओं से अवगत करना।
8. भरत की समन्वित संस्कृति को समझना तथा सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखना।
9. छात्रों को भौतिक तथा पर्यावरण का ज्ञान करना।

**माध्यमिक स्तर पर इतिहास पाठ्यक्रम के उद्देश्य (1998)**

1. अतीत एवं वर्तमान दोनों की समष्टि रूप में देश की सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों की प्रशंसात्मक अनुभूति कराना।
2. अपनी दुर्बलताओं को स्पष्ट रूप से समझने, उनका सामना करने तथा निराकरण हेतु कार्य करने की तत्परता उत्पन्न करना। यह तथ्य छात्रों को विशेष रूप से बताये जायें कि केन्द्रीय शक्ति दुर्बल होने से ही देश में विदेशी आक्रमण सफल हुए।
3. भावनात्मक एवं राष्ट्रीय एकता की दिशा में सचेष्ट प्रयास कराना।
4. अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के संवर्धन की आवश्यकता का अनुमान कराना।

**इण्टरमीडिएट में इतिहास शिक्षण के उद्देश्य (2001–2002)**

1. विद्यार्थी अपने पूर्वजों की संस्कृति की जानकारी प्राप्त कर सकें उनकी उपलब्धियों को समझें तथा उनसे प्रेरणा प्राप्त करें तथा पूर्व में हुई भूलों को दोहराने से बचें।
2. विद्यार्थी उन तथ्यों को समझें जिन्होंने राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने में सहायता प्रदान की तथा उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अपनी कमजोरियों को समझने एवं उन्हें पुनः न दोहराने का संकल्प करें, जिनसे उन्हें हानि पहुँची हो, उनसे बचे और उनका विरोध करें।
3. विद्यार्थियों में विश्व–बन्धुत्व की भावना उत्पन्न हो, मानवतावादी एवं यथार्थवादी दृष्टिकोण विकसित हो।
4. विद्यार्थियों में अतीत की भाँति वर्तमान का निर्माण करने का साहस पैदा हो। वे अन्तर्राष्ट्रीय घटनाचक्र को समझें और देश इनसे प्रभावित होने वाली स्थितियों का समझे।
5. इतिहास को अधिक बोधगम्य बनाने के लिए उत्तर के साथ भारतीय उपमहाद्वीप के मानचित्र तथा अन्य सम्बन्धित आवश्यक रेखाचित्र भी प्रस्तुत करने पर बल दिया जाये।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि इतिहास शिक्षण के उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण एवं व्यापक हैं। इन उद्देश्यों को अच्छे शिक्षण के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि इतिहास शिक्षण के सफलतापूर्वक संचालन हेतु ऐसे अध्यापक जो इतिहास की विभिन्न शिक्षण विधियों से अवगत हो तथा विषयवस्तु की समुचित जानकारी रखने वाले हों, की अति आवश्यकता है। तभी इतिहास शिक्षण के व्यापक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

**इतिहास शिक्षण का महत्वः** के.पी. चौधरी का मत है कि इतिहास को सार्वभौमिक रूप से विद्यालय पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण विषय माना गया है। यह समाज में मनुष्य के विकास का अध्ययन है। इतिहास के अध्ययन के अभाव में न तो हम अपने वर्तमान को समझ सकते हैं और न भविष्य का आंकलन कर सकते हैं। इसी कारण पाठ्यक्रम में इतिहास को स्थान प्रदान किया गया है। इतिहास के शिक्षण से विद्यार्थियों में अपने देश के अतीत के प्रति प्रेम एवं गौरव की भावना उत्पन्न होती है एवं इसके ज्ञान से जाति, धर्म, भाषा आदि के बन्धनों को समाप्त कर भावनात्मक एकता का विकास किया जा सकता है। ''इतिहास के द्वारा छात्रों को ज्ञान का भण्डार प्रदान किया जाता है, अर्थात् इतिहास स्वयं ज्ञान का भण्डार है, जिसमें बालक स्वेच्छानुसार अन्वेषण कर सकते हैं।'' इतिहास उनको विभिन्न राष्ट्रों, व्यक्तियों, उनके विचारों, परम्पराओं, प्रथाओं तथा समस्याओं का ज्ञान प्रदान करता है। इतिहास में बालक को अपने मस्तिष्क का सबसे अधिक उपयोग करना पड़ता है, उनको स्मरण रखने के लिए स्मरण शक्ति का उपभोग करना पड़ता है। जब बालक इतिहास में विभिन्न सभ्यताओं एवं संस्कृतियों संस्थाओं आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है, तब उसकी कल्पना–शक्ति को विकसित होने के बहुत से अवसर प्राप्त होते हैं। इन सबमें प्रमुख लाभ इतिहास के अध्ययन से यह होता है कि बालक निष्पक्षता एवं अपनी योग्यता के अनुसार तथ्यों को संकलित, परीक्षित एवं समन्वित करना सीख जाता है। इतिहास बालक के मानसिक अन्तरिक्ष को विस्तृत करता है, जिससे वह समस्त वसुधा को कुटुम्ब समझने के लिए उद्यत हो जाता है। वह समस्त विश्व को ऐक्य के दृष्टिकोण से देखता है। इस प्रकार इससे उसमें सत्य, देश–प्रेम के साथ–साथ विश्व–बन्धुत्व की भावना भी विकसित हो जाती है।

इतिहास का प्रमुख कार्य यह स्पष्ट करना है कि मानव तथा समाज का विकास किस प्रकार हुआ। उसका यह कार्य नहीं है कि वह राजाओं, रानियों, युद्धों, सन्धियों तथा तिथियों के विषय में ही विवरण प्रस्तुत करे, इतिहास अतीत के वर्णन द्वारा वर्तमान का स्पष्टीकरण करता है। वर्तमान की विशद रीति से सहृदयतापूर्वक व्याख्या करना ही इतिहास का महान उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है। भावनात्मक एवं राष्ट्रीय एकता आधुनिक भारत की एक महत्वपूर्ण माँग है जिसे किसी के द्वारा अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। भावात्मक एकता के लिए इतिहास का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है जिसके महत्व को निम्न बिन्दूओं द्वारा स्पष्ठ किया जा सकता है –

**शैक्षिक महत्वः** शैक्षिक दृष्टि से इतिहास का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतिहास भावी शिक्षा का आधार है। इतिहास मानव जीवन को परिष्कृत, पुष्पित तथा पल्लवित करती है। यह मनुष्य को परिपक्व, बुद्धिमान तथा अनुभवी बनाने वाला एक उपयोगी विषय है। अतीत के आधारशिला पर वर्तमान का निर्माण करने तथा भावी मार्गदर्शन के लिए इतिहास मनुष्य को सक्षम बनाता है। हीगेल ने लिखा है कि – 'मनुष्य इतिहास से वह शिक्षा प्राप्त करता है, जो अन्य विषयों में अप्राप्त है।'

**व्यावसायिक महत्वः** व्यावसायिक दृष्टि से भी इतिहास का कम महत्व नहीं हैं। इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा अन्य संस्थाओं में कार्य करने का सुअवसर प्राप्त कर सकते हैं। पत्रकारिता के लिए तो इतिहास का ज्ञान वरदान हैं। प्रशासकीय सेवा में भी इतिहास का ज्ञान सहायता करात है क्यों कि इसके ज्ञान के माध्यम से प्रशासक मानवीय एवं सामाजिक समस्याओं को समझने एवं उनके समाधान में समर्थ होता है।

**नैतिक महत्वः** इतिहास का नैतिक द्ष्टि से भी महत्व है क्योंकि यह नैतिकता की शिक्षा प्रदान करता है। यह समाज के नैतिक मूल्यों को भी संरक्षित रखता है। विश्व के तमाम महापुरुषों की जीवनी को यह मानव समुदाय के समक्ष परोसकर उसकी नैतिकता का पाठ हमें पढाता है। इसके अतिरिक्त इतिहास अध्ययन के माध्यम से छात्र विश्व के महान व्यक्तियों के जीवन दर्शन से परिचित होता हैं तथा उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। इससे छात्रों व पाठक के व्यक्तित्व में नैतिक गुणों का विकास होता है।

**अनुशासनात्मक महत्वः** इतिहास विषय का अनुशासनात्मक महत्व भी कम नहीं है क्योंकि इतिहास अध्ययन द्वारा छात्रों की मानसिक शक्तियां प्रशिक्षित होती है। अन्य विषयों की तुलना में इतिहास अध्ययन में छात्रों को स्मरण एवं कल्पना के लिए अधिक अवसर प्राप्त होते है। जब छात्र इतिहास अध्ययन में किसी ऐतिहासिक घटना के कारण एवं परिणाम का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं तो वे तथ्यों का परीक्षण एवं विवेचन करके साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। इतिहास पुरुषों की जीवनी से छात्र अनुशासन, समय की उपयोगिता, आचरण आदि की बातों को सीखाता है।

**सांस्कृतिक महत्वः** सांस्कृतिक दृष्टि से भी इतिहास का व्यापक महत्व है क्योंकि यह मानव मस्तिष्क एवं आचरण को सुसंस्कृत बनाने का प्रमुख एंव प्रभावपूर्ण साधन है। इसके अध्ययन से छात्र अपने देश की अतीत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति के आधार पर वर्तमान संस्कृति को समझने में समर्थ होते हैं और उसके क्रमिक विकास का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इतिहास द्वारा विद्यमान तथ्यों की अभिव्यक्ति, अपनी रीति–रिवाज, अपनी प्रथाओं, अपनी परम्पराओं आदि का ज्ञान कराया जाता है।प्राचीन सभ्यता –संस्कृति के अनुसार जो हमें आज वर्तमान संस्कृति प्राप्त हुई है, इसका श्रेय इतिहास को ही जाता है।

**सूचनात्मक महत्वः** इतिहास का सूचनात्मक महत्व भी अधिक है। यह एक तरफ से सूचनाओं का विशाल और अद्भुत भण्डार है। छात्र इसके अध्ययन द्वारा विविध मानवीय समस्याओं के समाधन खोज सकते हैं। इसके वास्तविक अध्ययन से अवबोध के नये आयाम जोडे जा सकते है। अतीत कालीन अनुभवों के अध्ययन से व्यक्तियों में विद्वेष संकीर्णता दूर करने में सहायता मिलती है।

**राष्ट्रीय महत्वः** इतिहास राष्ट्रीय महत्व का विषय है क्योंकि छात्र जब अपने देश के ऐतिहासिक दुर्गों, खण्डहरों, भवनों, राज–प्रसादों, मीनारों गुफाओं, स्पूतों, स्तम्भों, शिलालेखों आदि के विषय में पढ़कर–ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त करता है तो राष्ट्रीय स्तर के महत्व से वह परिचित होता है। आज ताजमहल विश्व के अजूबों में सर्वप्रथम है। इस जानकारी से छात्रों में राष्ट्रीय महत्व के प्रति जागृति पैदा होती है। इसके साथ ही इतिहास अध्ययन द्वारा देश की गौरवशाली गाथाओं से वह परिचित होता है। एक तरह से इतिहास छात्रों में देशप्रेम की भावना जागृत करने का काम करता है। यह राष्ट्रीय गौरव को प्रदान कर अच्छे नागरिक बनाने का प्रयत्न करता है। इतिहास अध्ययन से छात्र देश के महापुरुषों के शौर्य, त्याग, बलिदान एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का अध्ययन कर प्रेरणा प्राप्त करता है।

**अंतर्राष्ट्रीय महत्वः** इतिहास का अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की दृष्टि से भी विशेष महत्व है क्योंकि विश्व इतिहास के ज्ञान द्वारा ही छात्रों की विभिन्न देशों की सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान कराए जा सकता है। इसके साथ ही इतिहास अध्ययन द्वारा विभिन्न राष्ट्रों के संबंधों, प्रभावों एवं उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को समझने की क्षमता उत्पन्न की जा सकती हैं परिणामस्वरुप इससे छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना विकसित होगी जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं महत्व के लिए आधार बनेगी। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास का अध्ययन विशेष महत्व रखता है। इतिहास के ज्ञान के बिना विश्व की विविध समस्याओं का ज्ञान और उसका समाधान संभव नहीं है। अतः सभी को इतिहास का ज्ञान आवश्य प्राप्त करना चाहिए।

**इतिहास की उपादेयताः** आधुनिक वैज्ञानिक युग में इतिहास की उपादेयता समाज के समक्ष एक महत्वपूर्ण विचारशील प्रश्न है। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र तथा तकनीकी विज्ञान की उपयोकिगता असंदिग्ध है क्योंकि इन विषयों की उपयोगिता उनकी मुखाकृति पर अंकित हैं तकनीकी तथा चिकित्साशास्त्र के छात्रों का अभियंता तथा डाक्टर बनना प्रायः तय है, किंतु क्या इतिहास का अध्ययन करने वाले छात्र इतिहासकार हो सकते हैं? यह संदेहपूर्ण हैं ऐसी परिस्थिति में क्या इतिहास का अध्ययन उपयोगी है? यह एक गंभीर चर्चा का विषय है।

मानव जीवन में इतिहास की उपादेयता असंदिग्ध है, क्योंकि इसे मानवीय समाज की कहानी माना जाता है। कुछ विद्वानों ने इसे मृतकों का संग्रहालय और अतीत की निरर्थक गाथा तथा प्रगति के चरण की चक्की माना है, जिसका मानव के भावी तथा वर्तमान जीवन में न कोई उपादेयता है और न कोई महत्व। यदि विहंगम दृष्टि से देखा जाए तो वास्तविकाता इसके विपरीत है। मनुष्य जीवन का वर्तमान और भविष्य उसके अतीतकालीन जीवन पर निर्भर है और वह इसके जीवन श्रृंखला की एक बड़ी ही कडी मात्र है। अतीत की घटना राशि के संचित कोष का ही नाम इतिहास है। किसी देश का उत्कषोकर्ष, ऊॅच–नीच, भावों का उसके धार्मिक विचारों तथा सामाजिक संगठन का उसके ऐतिहासिक घटना चक्रों और राजनीतिक स्थिति का चित्रण यदि हमें कहीं देखने को मिलता है तो वह मात्र उस देश के इतिहास में अतः इतिहास की उपादेयता पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी, जिसे निम्नवत अध्ययन किया जा सकता है।

**राजनीतिक दृष्टिकोण सेः** इतिहास का राजनीति से घनिष्ठ संबंध है। शिले ने लिखा है कि–'बिना राजनीति के इतिहास का कोई अर्थ और फल नहीं और इतिहास के बिना राजनीति की कोई जड़ नहीं।' यदि हम इतिहास से राजनीतिक घटनाओं का विशाल संग्रह कर ज्ञान प्राप्त करें तो यह अद्वितीय है क्योंकि राजनीति ही इतिहास की पृष्ठभूमि है। अतः राजनीतिक दृष्टि से इतिहास की उपादेयता है।

**सामाजिक दृष्टि सेः** मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में ही इनके द्वारा सभी प्रकार की कृतियों को संपादित किया जाता है। जीवन –मरण तक के सारे आयामों का लेखा–जोखा समाज में रहता है तथा विभिन्न प्रकार के समस्याओं का समाधान भी समाज में ही होता है। अतः सामाजिक समस्याओं के समाधान में भी इतिहास से सराहनीय सहायता प्राप्त होती है, क्योंकि इतिहास समाज का अनुगत होता है और वह सामाजिक घटनाओं तथा क्रियाओं को अपने विशाल हृदय में संचित करता रहता है। इतना ही नहीं इतिहास भूतकाल का दर्पण हैं इसके अध्ययन से हमें इस बात की अक्षरशः जानकारी प्राप्त होती है कि कौन–कौन से समाज समूह और समुदाय अतीत में था। इतिहास इस बात का ज्ञान हमें कराता है कि अतीत का सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न आयाम कौन–कौन से थे। अतः सामाजिक दृष्टि से भी इतिहास की उपादेयता सुनिश्चित है।

**आर्थिक दृष्टिकोण सेः** इतिहास और विशेषकर आर्थिक इतिहास के अध्ययन से आर्थिक जीवन का निर्माण और उसके आयाम, सुधार तथा उसे प्रगतिशील बनाने में बड़ीसहायता मिलती है। आर्थिक जीवन एक बहुत लंबी श्रृंखला होती है जिसका उद्भव और विकास बर्बर तथा असभ्य जीवन की कठोर मरुभूमि में होती है और धीरे–धीरे वह सभ्य और सुसंस्कृत जीवन की सुकोमल भूमि की तरफ पदार्पण करता जाता है। मनुष्य के जीवन का आर्थिक विकास किन –किन कोटियों को तय करते हुए हुआ है इसका दिग्दर्शन हमें इतिहास ही कराता है। आर्थिक इतिहास हमें बतलाता है कि मनुष्य का आरंभिक जीवन प्रकृति प्रदत्त पदार्थों पर अवलंबित था और वह कंद –मूल खाकर अपना जीवन निर्वाह करता था। मनुष्य की आर्थिक प्रगति की जानकारी हमें इतिहास के अध्ययन से ही होती है। अतः आर्थिक दृष्टि से भी इतिहास की उपादेयता को नकारा नहीं जा सकता है।

**धार्मिक दृष्टिकोणः** धार्मिक भावना के उद्भव और विकास की झांकी हमें इतिहास में मिलती हैं । इतिहास के अध्ययन से हमें ज्ञान होता है कि किस प्रकार धार्मिक भावनाओं का अंकुरण प्रकृति पूजन के रुप में हुआ और प्रकृति के विभिन्न अवश्व ही देवी–देवताओं के रुप में स्थापित किये गये। कालांतर में इस धार्मिक भावना का उद्विकास होता गया और निराकार तथा साकार अनादि और अनंत, असीम और अगाध शक्ति की कल्पना की गई जिसे ईश्वर के नाम से संबोधित किया गया। इतिहास हमें यह भी बताता है कि किन–किन धर्मों का विकास कहॉ–कहॉ हुआ तथा किस प्रकार उसका प्रचार–प्रसार किया गया। धर्म के नाम पर किस प्रकार लोगों को अंधविश्वास में जकड़ कर ठगा गया। धर्म ने किस प्रकार समाज में कुरीतियों को जन्म दिया। किन–किन देशों में कौन–कौन से पैगंबर, उपदेशक, धर्मप्रचारक बने, उनके क्या उपदेश थे।इतिहास द्वारा दिये गये इस तथ्य और कथ्य से समाज सुधारकों तथा राजनीतिज्ञों को अपने सुधार के कार्यों में बड़ी सहायता मिली तथा उनका कठिन कार्य सहज हो गया।

**नैतिक दृष्टिकोण सेः** इतिहास में नैतिकता की ओर बढ़ाने हेतु मानव को शिक्षा दी जाती है तथा अच्छे कार्यों को करने की प्रेरणा दी जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नैतिक शिक्षा से व्यक्ति का व्यक्तित्व उदात्त होता है।

**सांस्कृतिक दृष्टिकोण सेः** इतिहास की उपादेयता सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह विश्व की भिन्न सभ्यताओं के सांस्कृतिक जीवन की जानकारी हमें देता है जो ऐतिहासिक दृष्टिकोणसे लाभदायक है।

**जीवन को सार्थक तथा उदीयमान बनाने के दृष्टिकोण सेः** इतिहास जीवन को सार्थक बनाने के दृष्टिकोण से भी उपादेय है। मनुष्य अपनी बुद्धि के बल पर सार्थक कदम उठाते हुए इतिहास के अध्ययनोपरांत अपने जीवन के सार्थक उद्देश्यों की पूर्ति करता है तथा जीवन को उदीयमान बनाता है।

अस्तु, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इतिहास की उपयोगिता पर बल देकर कार्य करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। हीगेल ने भी इतिहास को उपादेयता के दृष्टिकोण से सराहनीय विषय माना है। एक भविष्य निधि के रुप में इतिहास की सुरक्षा आवश्यक है जो इतिहास अध्ययन से ही संभव होगा।

## निष्कर्ष

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वर्तमान शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में इतिहास विषय का शिक्षण व अध्ययन की महती आवश्यकता है। इस के उद्देश्य अत्यन्त व्यापक एवं दूरगामी है। इतिहास विषय के महत्व और उपयोगिता को ध्यान में रख कर इतिहास विषय के अध्ययन पर बल देकर कार्य करना हमारा पुनीत कर्त्तव्य हैं। हीगेल ने भी इतिहास को सराहनीय विषय माना है। एक फ्रांसीसी विद्वान रेनन ने लिखा है कि इतिहास का अध्ययन राष्ट्रीयता के लिए उपयुक्त होता है। मानव समाज के कल्याण के लिए विशाल इतिहास को भूलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि यह भी सत्य है कि अपने इतिहास को भूलने वाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता है। अतः भविष्य निधि के रुप में इतिहास विषय का अध्ययन व शिक्षण की व्यवस्था आवश्यक है। अतः समस्त मानव जाति को इतिहास की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए।

## संदर्भ


1. गोविन्द चंद्र पाण्डे (1973), इतिहास स्वरूप एवं सिद्धांत, जयपुर,
2. बुद्ध प्रकाश (1968), इतिहास दर्शन, जालंधर, यूनिवर्सिटी पब्लिशर्स,
3. आर.सी. मजूमदार, (स.) हिस्ट्री एण्ड कल्चर ऑव इण्डियन पीपुल : जिल्द–1, वैदिक एज,
4. आर0 के0 मुकर्जी (1965), एंशियंट हिस्ट्री, इलाहाबाद,
5. एल. डिकिंसन, एन एसे ऑन सिविलाइजेशन ऑफ इण्डिया, चाइना, जापान,
6. इंटरव्यू विध एम.एम. जोशी, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इन शर्मा (2002)
7. हीरानन्द शास्त्री (1965), अध्यक्षीय भाषण, आल इण्डिया ओरिएण्टल कांफ्रेंस, पटना
8. गोविन्दचन्द्र पाण्डे(1973), इतिहास स्वरूप एवं सिद्वान्त, जयपुर